राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 56000 / 2014–15 जयपुर, दिनांक : 19 JUN 2017

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समयबद्व श्रम भुगतान किये जाने के संबंध में।**

संदर्भ :– **विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक** 11.09.2014

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 3(3) के प्रावधान के अनुसार **कार्य समाप्ति के अधिकतम 15 दिवस में** किया जाना अनिवार्य है। कुंछ जिलों द्वारा एफ.टी.ओ. पर **प्रथम एवं/अथवा द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता** के **किसी कारणवश यथा** अवकाश पर होने, कार्य बहिष्कार करने, डी.एस.सी. की वैधता तिथि **समाप्त हो जाने आदि की स्थिति में** श्रम भुगतान के **एफ.टी.ओ. पर डिजिटल हस्ताक्षर के संबन्ध में मार्गदर्शन** चाहा गया है।

उपरोक्त के संबन्ध में लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा सभी जिलों को यह निर्देश दिए गए थे कि **प्रत्येक ब्लाक पर प्रथम एवं द्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर के लिए एक–एक वैकल्पिक डिजिटल हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप** से बनवाये जावे। **श्रम भुगतान** में किसी भी प्रकार का **कोई विलम्ब नही** हो इसके लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. **प्रत्येक पंचायत समिति** पर **प्रथम एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता हेतु वैकल्पिक डिजिटल हस्ताक्षर** सर्टीफिकेट (डी.एस.सी.) **आवश्यक रूप से** बनवाये जावे।
2. वर्तमान में किसी पंचायत समिति पर **वैकल्पिक डी.एस.सी. नही होने की स्थिति मे** किसी **पास की पंचायत समिति के कार्मिक/अधिकारी को एफ.टी.ओ. पर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने हेतु अधिकृत (authorize)किया जावे।**
3. जिन पंचायत समिति में वैकल्पिक डिजिटल हस्ताक्षर **नही बनवाये** गये है अथवा डी.एस.सी. की वैधता तिथि समाप्त हो गई है, उन पंचायत समिति में **डिजिटल हस्ताक्षर तुरन्त बनवाये जाने की** कार्यवाही की जावे।

यह ध्यान में रखा जावे कि उक्त वर्णित कारणों से **श्रम भुगतान में किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब नही** हो। उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कंरवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस